संख्या-182/2024/654/35-4-2024/35-4099/94/2024

प्रेषक,

जे० एल० यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़ ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 14 मई, 2024

विषय: जनपद-प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत **राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़** के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शासनादेश सं0-13/2020/252/35-4-2020, दिनांक 17, 2020 द्वारा **जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पट्टी में राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़** के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अनुमोदित लागत रू0 1792.56 लाख (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या-29/2021/585/35-4-2021 दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 268.88 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-163/2021/1519/35-4-2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 875.54 लाख की धनराशि, कुल रू0 1344.42 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है।

2. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्रांक: 79/त्वरित आर्थिक विकास योजना-2024-25, दिनांक-08 मई, 2024 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 1344.42 लाख का 75 प्रतिशत से अधिक उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष किश्त की धनराशि रू0 **रू0 448.14 लाख (रूपये चार करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़ का भवन निर्माण कार्य ।	1792.56 (+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय)	1344.42	448.14

1. सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक- 17 फरवरी, 2020, दिनांक- 04 मार्च, 2021 व दिनांक- 01 अक्टूबर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूश्धींदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये धनराशि रू0 **रू0 448.14 लाख (रूपये चार करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्ष-420202104030302 राजकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य के 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जे0एल0 यादव
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-182/2024/654(1)/35-4-2024/35-4099/94/2024/तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0 ।
9. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्धैंदंकमौण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़ ।
14. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-10, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, प्रयागराज।
15. संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे0एल0 यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्धींदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।